http://abcaus.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2017/आश्विन 3, 1939
No. 800] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017/ASVINA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 सितम्बर , 2017

सा.का.नि. 1199(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था,के पृष्ठ सं. 158 पर, सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,-

(2)
''किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।'',

के स्थान परनिम्न को पढ़ा जाए-

(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म,के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं। स्पष्टीकरणः- "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं।"।

[फा. सं. 336/20/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

http://abcaus.in

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th September, 2017

G.S.R. 1199(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, at page 161, in the Table, against serial number 2, in column (2), for -

(2)
"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.",

read

(2)
"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly. *Explanation*.- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority.".

[F. No. 336/20/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 सितम्बर , 2017

सा.का.नि. 1200(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ सं. 55 पर, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (2) में,-

(2)
''किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।'',

के स्थान पर निम्न को पढ़ा जाए-

(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म,के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं. स्पष्टीकरणः- "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेतहै और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं।"।

[फा. सं. 336/20/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

http://abcaus.in

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th September, 2017

G.S.R. 1200(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, at page 57, in the Table, against serial number 3, in column (2), for -

(2)
"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.",

read

(2)
"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly. *Explanation*.- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority.".

[F. No. 336/20/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 सितम्बर , 2017

सा.का.नि. 1201(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था,के पृष्ठ सं. 51 पर, सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,-

(2)
''किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।'',

के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए-

(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म,के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं. स्पष्टीकरणः- "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेतहै और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं।"।

[फा. सं. 336/20/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

http://abcaus.in

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th September, 2017

G.S.R. 1201(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, at page 53, in the Table, against serial number 2, in column (2), for -

(2)
"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.",

read

(2)
"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly. *Explanation*.- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority.".

[F. No. 336/20/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.09.26 11:22:20 +05'30'